

अनुदान संख्या 29 - पर्यावरण और वन मंत्रालय
GRANT No. 29-MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

| | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|------------------------------------|---|--|-----------------|
| (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) | | | | |
| राजस्व: | Revenue: | | | |
| प्रभारित- | Charged- | | | |
| पूरक | Supplementary | 1,50,00 | 1,50,00 | 1,50,00 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | . . |
| स्वीकृत- | Voted- | | | शून्य Nil |
| मूल | Original | 1676,67,00 | 1703,76,00 | 1679,93,51 |
| पूरक | Supplementary | 27,09,00 | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | -23,82,49 |
| पूंजीगत: | Capital: | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | | | |
| मूल | Original | 30,33,00 | 31,03,00 | 29,85,58 |
| पूरक | Supplementary | 70,00 | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | -1,17,42 |
| | | | | 52,85 |

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2382.49 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 2709.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 88 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं ।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2382.49 lakhs) constituted 88 percent of the supplementary grants of Rs.2709.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|--|--|--|-----------------|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451" Secretariat-Economic Services | | | |
| मू. | O. | 2200.00 | | |
| पू. | S. | 424.00 | 2965.46 | 2913.57 |
| उ. | R. | 341.46 | | -51.89 |
| मुख्य शीर्ष "2406" वानिकी तथा वन्य जीव | Major Head "2406" Forestry and Wild Life | | | |
| मू. | O. | 54477.00 | | |
| पू. | S. | 819.00 | 60631.54 | 60431.99 |
| उ. | R. | 5335.54 | | -199.55 |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | |
| मू. | O. | 15000.00 | | |
| पू. | S. | 1.00 | 1.09 | . . |
| उ. | R. | -14999.91 | | -1.09 |
| मुख्य शीर्ष "3435" परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण | Major Head "3435" Ecology and Environment | | | |
| मू. | O. | 69129.00 | | |
| पू. | S. | 1464.00 | 68936.51 | 67964.03 |
| उ. | R. | -1656.49 | | -972.48 |
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | |
| मू. | O. | 26811.00 | | |
| पू. | S. | 1.00 | 36710.16 | 36683.92 |
| उ. | R. | 9898.16 | | -26.24 |

(I) 17402.00 लाख रु. का प्रावधान चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 17011.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" -

(क) "वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण" -

(i) "अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण" - 200.00 लाख रु.; और

(ii) "वानिकी कार्मिकों का विदेश में प्रशिक्षण" - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - पीआरआई के माध्यम से वनरोपण (एनसीएमपी संबंधित स्कीम)/ पंचायत वन योजना" - 1500.00 लाख रु. स्कीमों को योजना आयोग/मंत्रियों के समूह से अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "पर्यावरणीय वानिकी - वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - केंद्रीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण" - 300.00 लाख रु.;

(ख) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम" -

(i) "राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड" - 210.00 लाख रु.;

(ii) "राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम" - 5500.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.17402.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty four heads; of these Rs.17011.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" -

(a) "Forestry - Education and Training" -

(i) "Training of Personal of Other Services" - Rs.200.00 lakhs; and

(ii) "Foreign Training of Forestry Personal" - Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-implementation of training programme owing to non-receipt of approval from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(b) "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - Afforestation through PRI's (NCMP-related Scheme)/ Panchayat Van Yojana" - Rs.1500.00 lakhs - due to non-receipt of approval of schemes from Planning Commission/ Group of Ministers.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Environment Forestry - Wild Life- Wild Life Preservation- Central Zoo Authority" - Rs.300.00 lakhs;

(b) "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Ecology Development Programme" -

(i) "National Afforestation and Eco-Development Board" - Rs.210.00 lakhs;

(ii) "National Afforestation Programme" - Rs.5500.00 lakhs;

- (ग) “पर्यावरण अनुसंधान एवं पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन पर्यावरणीय/शिक्षा एवं प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण विस्तार” - 300.00 लाख रु.;
- (घ) “प्रदूषण निवारण और राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का नियंत्रित निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम” - 500.00 लाख रु.;
- (ङ) “वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भवन” -
- (i) “एकीकृत वन संरक्षण स्कीम” - 4300.00 लाख रु. ;
- (ii) “मुली बांसों का वृंद पुष्पण” - 1500.00 लाख रु. ;
- (च) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण” -
- (i) “परियोजना बाघ - 501.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ii) “परियोजना हाथी” - 300.00 लाख रु.;
- (iii) “राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता/वन्य जीव निवास का एकीकृत विकास” - 600.00 लाख रु.;
- (छ) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम” -
- (i) “जीवमंडल रिजर्व” - 150.00 लाख रु.;
- (ii) “मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणाली और आर्द्र भूमि” - 150.00 लाख रु.; और
- (ज) “वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद” - 500.00 लाख रु.।
- (c) “Environment Research & Ecological Regeneration Environmental/Education and Training/Extension - Environment Education & Training Extension” - Rs.300.00 lakhs;
- (d) “Prevention of Pollution and Control Prevention of Pollution of National River - National River Conservation Programme” - Rs.500.00 lakhs;
- (e) “Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration” -
- (i) “Integrated Forest Protection Scheme” - Rs.4300.00 lakhs;
- (ii) “Gregarious Flowering of Muli Bamboos” - Rs.1500.00 lakhs;
- (f) “Environmental Forestry and Wildlife – Wildlife Preservation” -
- (i) “Project Tiger” - Rs.501.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);
- (ii) “Project Elephant” - Rs.300.00 lakhs;
- (iii) “Assistance for Development of National Parks and Sanctuaries/Integrated Development of Wildlife Habitates” - Rs.600.00 lakhs;
- (g) “Environmental Research and Ecological Regeneration – Conservation Programme” -
- (i) “Biosphere Reserves” - Rs.150.00 lakhs;
- (ii) “Mangroves Eco-Systems and Wetlands” - Rs.150.00 lakhs; and
- (h) “Forestry – Education and Training – Indian Council of Forestry Research and Education” - Rs.500.00 lakhs.

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" - "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड" - 1940.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 97.70 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2037.70 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1125.84 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने और वित्तीय वर्ष 2008-09 से ग्रीनिंग इंडिया स्कीम को बंद किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" -

(क) "सर्वेक्षण (प्राणिविज्ञान) - अन्वेषण - मुख्यालय कार्यालय" - 36.20 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.20 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 46.40 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 12.33 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बकाया की कम अदायगी किए जाने की वजह से वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भव - पर्यावरणीय/शिक्षा प्रशिक्षण/विस्तार - राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय" - 750.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 185.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 935.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 289.76 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रख-रखाव कार्य को निष्पादित न किए जाने की वजह से वेतन और लघु

Provisions under the above thirteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2406" - "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - National Afforestation and Eco-Development Board" - the original provision of Rs.1940.00 lakhs was augmented to Rs.2037.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.97.70 lakhs. However, there was a saving of Rs.1125.84 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of utilisation certificates and discontinuation of Greening of India Scheme from the financial year 2008-09.

(B) Major Head "3435" -

(a) "Survey (Zoological) - Investigation - Headquarter Office" - the original provision of Rs.36.20 lakhs was augmented to Rs.46.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.20 lakhs. However, there was a saving of Rs.12.33 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards salary owing to less payment of arrear of Sixth Central Pay Commission Report.

(b) "Environment Research & Ecological Regeneration - Environmental/Education Training/Extension - National Museum of Natural History" - the original provision of Rs.750.00 lakhs was augmented to Rs.935.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.185.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.289.76 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards

निर्माण कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

- (ग) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण - राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय” - 600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 620.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 93.54 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सलाहकार/सेवा प्रदाता को शुल्क की अदायगी न किए जाने और अनुदानग्राही संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से विज्ञापन और प्रचार तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2406” -

(क) “वानिकी” -

- (i) “शिक्षा और प्रशिक्षण - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी” - 860.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 110.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 970.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो किफायती उपाय किए जाने के कारण 23.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

- (ii) “वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्भव - वन प्रभागों का सुदृढीकरण” - 650.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 154.80 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 804.80 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कम दौरे किए जाने की वजह से घरेलू यात्रा व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 58.07 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

salary and minor works owing to non-execution of maintenance work by Regional Office.

- (c) “Prevention and Control of Pollution – Prevention of Pollution of National Rivers – National River Conservation Directorate” - the original provision of Rs.600.00 lakhs was augmented to Rs.620.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.93.54 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards advertising and publicity and professional services owing to non-payment of fees to Consultant/Service Provider and non-receipt of proposals from grantee institutions.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2406” -

(a) “Forestry” -

- (i) “Education and Training – Indira Gandhi National Forest Academy” - the original provision of Rs.860.00 lakhs was augmented to Rs.970.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.110.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.23.50 lakhs – due to economy measures.

- (ii) “Forest Conservation, Development and Regeneration – Strengthening of Forests Divisions” – the original provision of Rs.650.00 lakhs was augmented to Rs.804.80 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.154.80 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.58.07 lakhs - due to requirement of less funds towards domestic travel expenses owing to less journey performed.

(ख) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - प्राणिकुट्टान - राष्ट्रीय प्राणिकुट्टान, नई दिल्ली” - 650.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 155.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 805.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने से वेतन और अन्य प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 140.63 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3435” -

(क) “सर्वेक्षण (वानस्पतिक)” -

(i) “निदेशन और प्रशासन” -

(1) “मुख्यालय कार्यालय” - 203.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 54.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 258.40 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 25.41 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ;

(2) “भारतीय वानस्पतिक उद्यान” - 171.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 221.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 43.52 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ;

(ii) “अनुसंधान” -

(1) “भारतीय वानस्पतिक उद्यान” - 436.91 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 536.91 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 13.68 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(b) “Environmental Forestry and Wildlife – Zoological Park - National Zoological Park, New Delhi” - the original provision of Rs.650.00 lakhs was augmented to Rs.805.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.155.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.140.63 lakhs - due to requirement of less funds towards salary and other charges on implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(B) “Major Head “3435” -

(a) “Survey (Botanical)” -

(i) “Direction and Administration” -

(1) “Headquarters Office” - the original provision of Rs.203.90 lakhs was augmented to Rs.258.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.54.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.25.41 lakhs;

(2) “Indian Botanic Garden” - the original provision of Rs.171.00 lakhs was augmented to Rs.221.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.43.52 lakhs;

(ii) “Research” -

(1) “Indian Botanic Garden” - the original provision of Rs.436.91 lakhs was augmented to Rs.536.91 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.13.68 lakhs;

(2) “क्षेत्रीय कार्यालय” - 852.88 लाख रु. के मूल प्रावधान को 197.52 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1050.40 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 35.18 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(3) “मुख्यालय” - 288.58 लाख रु. के मूल प्रावधान को 97.45 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 386.03 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 57.83 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(iii) “अन्वेषण - क्षेत्रीय कार्यालय” - 152.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.24 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 176.54 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 9.35 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) “सर्वेक्षण (वानस्पतिक) - निदेशन और प्रशासन - क्षेत्रीय कार्यालय” - 459.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 219.65 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 678.95 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 52.95 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के बकाया की कम अदायगी किए जाने की वजह से वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष “2406” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “वानिकी - वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्भव - एकीकृत वन संरक्षण स्कीम/वन प्रबंधन का तीव्रीकरण” - 138.68 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रस्ताव

(2) “Regional Offices” - the original provision of Rs.852.88 lakhs was augmented to Rs.1050.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.197.52 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.35.18 lakhs; and

(3) “Headquarters” - the original provision of Rs.288.58 lakhs was augmented to Rs.386.03 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.97.45 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.57.83 lakhs;

(iii) “Investigation – Regional Offices” - the original provision of Rs.152.30 lakhs was augmented to Rs.176.54 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.24 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.9.35 lakhs; and

(b) “Survey (Zoological) – Direction and Administration – Regional Offices” - the original provision of Rs.459.30 lakhs was augmented to Rs.678.95 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.219.65 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.52.95 lakhs.

Savings under the above seven heads were due to requirement of less funds towards salary owing to less payment of arrear of Sixth Central Pay Commission Report.

(IV) Under Major Head “2406” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Forestry – Forest Conservation, Development and Regeneration – Integrated Forest Protection Scheme/Intensification of Forest Management” – saving of Rs.138.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00

प्राप्त न होने और पेशेवर सेवाओं को कम संख्या में किराए पर लिए जाने की वजह से कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं और सहायता अनुदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण - वन्यजीव प्रभाग का सुदृढीकरण और विशेष कार्यों के लिए परामर्शी सेवाएं/वन्यजीव अपराध का नियंत्रण” - 223.27 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय वन्य जीव अपराध बोर्ड के कम कार्यकलाप होने/कार्यदल की तैनाती न होने की वजह से घरेलू यात्रा व्यय, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं और अन्य प्रभागों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3435” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - पर्यावरणीय/शिक्षा प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण विस्तार” - 293.07 लाख रु. की बचत (5053.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने, पूर्वोत्तर राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(खा) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण” -

(क) “राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम” - 3500.09 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “वायु और जल प्रदूषण का निवारण - जल प्रदूषण (उपकर) का निवारण और नियंत्रण” - 420.00 लाख रु. की बचत (8400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

lakhs) was due to requirement of less funds towards office expenses, professional services and Grants-in-aid owing to non-receipt of proposals under Grants-in-aid and less hiring of professional services.

(B) “Environmental Forestry and Wildlife – Wildlife Preservation – Strengthening of Wildlife Division and Consultancies for Special Tasks/ Control of Wildlife Crime” – saving of Rs.223.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards domestic travel expenses, publication, other administration services, professional services and other charges owing to less activity of Wildlife Crime Central Board/ non-employment of task force.

(V) Under Major Head “3435” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Environment Research & Ecological Regeneration – Environmental/Education Training/Extension – Environmental Education Training Extension” – saving of Rs.293.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5053.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates, receipt of less proposals from North Eastern States and utilisation of less funds by Directorate of Advertising & Visual Publicity.

(B) “Prevention and Control of Pollution” –

(a) “Prevention of Pollution of National Rivers – National Lake Conservation Programme” – saving of Rs.3500.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(b) “Prevention of Air and Water Pollution – Prevention and Control of Water Pollution (Cess) – saving of Rs.420.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8400.00 lakhs) was due to economy measures.

(गा) “अन्य - अन्य व्यय” -

(क) “राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली” - 296.37 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(ख) “जैव विविधता संरक्षण” - 115.91 लाख रु. की बचत (445.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(ग) “सूचना प्रौद्योगिकी” - 947.12 लाख रु. की बचत (1650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई-अभिशासन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तीसरे चरण के सलाहकारों को काम पर न रखे जाने की वजह से व्यावसायिक सेवाओं के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - वानिकी - वन संरक्षण विकास एवं पुनरुद्भवन - एकीकृत वन संरक्षण स्कीम” - 956.75 लाख रु. की बचत (8400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)राज्य सरकारों से कम मांग होने के कारण हुई।

(खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव संरक्षण - जैव विविधता संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका सुधार” - 155.16 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी/प्रशासनिक कारणों की वजह से विश्व बैंक परियोजना को विलंब से शुरू किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (15117.25 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं

(C) “Others – Other Expenditure” –

(a) “National Natural Resource Management System” – saving of Rs.296.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(b) “Bio-diversity Conservation” – saving of Rs.115.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.445.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Externally Aided Project owing to non-receipt of proposals.

(c) “Information Technology” – saving of Rs.947.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1650.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards professional services owing to non-engagement of IIIrd Stage Consultants for implementation of E-Governance project.

(VI) Under Major Head “3601” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes - Forestry – Forest Conservation Development & Regeneration -Integrated Forest protection scheme” - saving of Rs.956.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8400.00 lakhs) was due to less demand from State Governments.

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation – Bio-diversity Conservation & Rural Livelihood Improvement” - saving of Rs.155.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to late start of World Bank Project owing to technical/administrative reasons.

2.(I) The above savings were partly (Rs.15117.25 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported

जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 5.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

- (का) मुख्य शीर्ष "2406" -
- (क) "वानिकी - अनुसंधान - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद" - 2958.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2957.00 लाख रु. था।
- (ख) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण - भारतीय वन्यजीव संस्थान" - 290.00 लाख रु.।
- (खा) मुख्य शीर्ष "3435" -
- (क) "पर्यावरणीय अनुसंधान एवं पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - हिमालय अनुसंधान और विकास" - 275.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 274.00 लाख रु. था।
- (ख) "प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण" -
- (i) "राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" - 2700.00 लाख रु.।
- (ii) "वायु और जल प्रदूषण का निवारण" -
- (1) "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" - 504.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 503.00 लाख रु. था।
- (2) "पर्यावरण प्राधिकरणों की स्थापना" - 77.25 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 77.60 लाख रु. था।
- (गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण - परियोजना बाघ - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सहायता/एकीकृत वन्यजीव निवास का विकास" - 8313.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 8312.03 लाख रु. था।

to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.5.00 lakhs under the following major heads:-

- (A) Major Head "2406" -
- (a) "Forestry - Research - Indian Council of Forestry Research and Education" - Rs.2958.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2957.00 lakhs.
- (b) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation - Wildlife Institute of India" - Rs.290.00 lakhs.
- (B) Major Head "3435" -
- (a) "Environment Research & Ecological Regeneration - Research and Ecological Regeneration - Himalayan Research and Development" - Rs.275.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.274.00 lakhs.
- (b) "Prevention and Control of Pollution" -
- (i) "Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Programme" - Rs.2700.00 lakhs.
- (ii) "Prevention of Air and Water Pollution" -
- (1) "Central Pollution Control Board" - Rs.504.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.503.00 lakhs.
- (2) "Establishment of Environment Authorities" - Rs.77.25 lakhs. Actual excess, however, was Rs.77.60 lakhs.
- (C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation - Project Tiger - Assistance to National Parks and Sanctuaries/Integrated Development of Wildlife Habitat" - Rs.8313.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.8312.03 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय" 289.57 लाख रु. का अधिक व्यय (424.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2624.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2406" -

(क) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण - केंद्रीय प्राणियुद्धान प्राधिकरण" - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम" - 5499.17 लाख रु. का अधिक व्यय (29062.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और वन विकास अभिकरणों की बढ़ी हुई संख्या की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3435" - "सर्वेक्षण (प्राणिविज्ञान) - अनुसंधान - क्षेत्रीय कार्यालय" - 108.74 लाख रु. का अधिक व्यय (94.65 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 650.15 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Environment and Forests" - excess of Rs.289.57 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2624.00 lakhs including supplementary grant of Rs.424.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Pay Commission Report.

(B) Major Head "2406" -

(a) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation - Central Zoo Authority" - excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1450.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - National Afforestation Programme" - excess of Rs.5499.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.29062.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to meet the committed liabilities of increased number of Forests Development Agencies (FDA).

(C) Major Head "3435" - "Survey (Zoological) - Research - Regional Offices" - excess of Rs.108.74 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.650.15 lakhs including supplementary grant of Rs.94.65 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(D) Major Head "3601" -

- (क) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -
- (i) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम” -
- (1) “जीवमंडल रिजर्व” - 149.99 लाख रु. का अधिक व्यय (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) “आर्द्र भूमि” - 151.70 लाख रु. का अधिक व्यय (825.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) “वानिकी - वन संरक्षण विकास एवं पुनरुद्भवन - मुली बांसों का बृंद पुष्पण” - 1492.75 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -
- (i) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण - परियोजना हाथी” - 299.14 लाख रु. का अधिक व्यय (1650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ii) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - प्राणिउद्यान - राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता” - 599.71 लाख रु. का अधिक व्यय (7250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 121.97 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 29 प्रतिशत था।

- (a) “Grants for Central Plan Schemes” -
- (i) “Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programme” -
- (1) “Biosphere Reserves” - excess of Rs.149.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs);
- (2) “Wetland” - excess of Rs.151.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.825.00 lakhs);
- (ii) “Forestry - Forest Conservation Development & Regeneration - Gregarious Flowering of Muli Bamboos” - excess of Rs.1492.75 lakhs (against nil provision);
- (b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -
- (i) “Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation - Project Elephant” - excess of Rs.299.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1650.00 lakhs); and
- (ii) “Environmental Forestry and Wildlife - Zoological Park - Assistance for Development of National Parks” - excess of Rs.599.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7250.00 lakhs).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under two heads excess of Rs.121.97 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 16 percent and 29 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (117.42 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 70.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.117.42 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.70.00 lakhs obtained in October, 2008 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | | Head | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|--|--|---|------------------------------|--|-----------------|
| मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी और वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय | | Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wildlife | | | |
| मू. | | O. | 305.00 | 755.00 | 724.49 |
| पु. | | R. | 450.00 | | |
| | | | | | -30.51 |
| मुख्य शीर्ष "5425" अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | | Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research | | | |
| मू. | | O. | 1728.00 | 1345.15 | 1311.09 |
| पू. | | S. | 70.00 | | |
| पु. | | R. | -452.85 | | |
| | | | | | -34.06 |

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) मुख्य शीर्ष "5425" - "पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय - सिविल इंजीनियरी स्कंध" के अंतर्गत 228.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 70.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 298.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के बकाया की कम अदायगी किए जाने की वजह से वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 12.81 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "5425" - "पारिस्थितिकी और पर्यावरण - नए सिविल निर्माण कार्य" के अंतर्गत 474.10 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीजीआईआर नोएडा में पूंजीगत निर्माण कार्य में कम प्रतिपूर्ति

(I) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environmental - Civil Engineering Wing" - the original provision of Rs.228.00 lakhs was augmented to Rs.298.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.70.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.12.81 lakhs - due to requirement of less funds towards salary owing to less payment of arrear of Sixth Central Pay Commission Report.

(II) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environmental - New Civil Works" - saving of Rs.474.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to less reimbursement in capital works BGIR Noida and

होने और आरजीआरएमएनएच के लिए संविदाकार द्वारा निष्पादन गारंटी के प्रस्तुतीकरण में विलंब किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4406" - "वानिकी - संचार और भवन - नए सिविल निर्माण कार्य" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 419.49 लाख रु. का अधिक व्यय (305.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वन प्रभाग शिलांग और भुवनेश्वर के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

delay in submission of Performance Guarantee by the Contractor for RGRMNH.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4406" - "Forestry - Communication and Buildings - New Civil Works" - excess of Rs.419.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.305.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for strengthening of Forest Division (RO) Shillong and Bhubneswar.
